राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(13)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 17.8.2022

::अधिसूचना::

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.1998 में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, निम्नलिखित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार तुरन्त प्रभाव से, निम्नानुसार पुनः निर्धारित करती है :-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	संशोधित क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पूर्व) भीलवाडा	भीलवाडा	भीलवाडा शहर के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाईन के पूर्व दिशा की ओर स्थित नगर परिषद भीलवाडा का नगर परिषद क्षेत्र
2	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, (पश्चिम) भीलवाडा	भीलवाडा	भीलवाडा शहर के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेलवे लाईन के पश्चिम दिशा की ओर स्थित नगर परिषद भीलवाडा का नगर परिषद क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,

17.8.22

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा ।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव